

(1)

Dr. Honey Simha
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce

Subj: Business Organisation (Subsidiary)
Paper: Ist

SNSRKE College, SAHARSA

B. Com Part 1st

Subj: Business Organisation (Subsidiary)

* Introduction

* Meaning of Administration
(प्रशासन का अर्थ)

"प्रशासन" एक व्यापक शब्द है। यह वह माध्यम है जो उद्देश्यों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए व्यापक औद्योगिक नीतियों का निर्माण करता है। यह निर्णयन एवं निर्देशन का कार्य करता है। इस प्रकार प्रशासन से आशय नीतियों को निर्धारित करने, निर्णयन लेने, निर्देशन का कार्य करने, समन्वय स्थापित करने, संगठन के क्षेत्र को निर्दिष्ट करने तथा समस्त कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न-लिखित हैं :-

(1) जे. एन. शुल्जे के अनुसार, "प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु संगठन एवं संबंध प्रयत्न करते हैं और जिनके अनुरूप ही उनका आचरण होता है।"

(2) ई. एफ. एल. ब्रेच के अनुसार, "प्रशासन उद्योग का वह कार्य है जो नीतियों के निर्धारण तथा पालन करने से संबंधित है, जिसके द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता है और योजना के अनुरूप उसकी क्रियाओं की प्रगति का नियमन तथा नियंत्रण किया जाता है।"

(3) विलियम एच. न्यूमैन के अनुसार, "प्रशासन कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों के एक समूह के प्रयत्नों का पदा-प्रदर्शन, नेतृत्व तथा नियंत्रण करता है।"

Ideal Definition :-

प्रशासन एक व्यापक शब्द है जो किसी उपक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीति निर्धारित करता है तथा निर्देशानुसार करता है।

फ्रांस के famous उद्योगपति प्रबन्ध विशेष्ज्ञ श्री हेनरी फैयोल (H. Fayol) ने प्रशासन के निम्न 14 सिद्धान्त बताये हैं जो निम्न है :-

(1) अनुशासन (Discipline):- प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। इससे नियमों का पालन होता है तथा पंजा पूरे परिणाम से कार्य करता है। यह बहुत कुछ अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। यदि नेतृत्व अच्छा होगा तो अनुशासन भी कायम रहेगा। एक पर श्री फैयोल ने यहाँ तक कहा है कि "बुरा अनुशासन एक बुराई (Evil) है, जो कि प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है।"

(2) श्रम विभाजन (Division of Labour):- सफलता प्राप्त करने के लिये श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तथा उद्योग को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं।

(3) आदेश की एकता (Unity of Command):- आदेश में एकता होनी चाहिए। इसके लिये यह आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के करने के लिये केवल एक ही व्यक्ति से आदेश मिले।

(4) पदाधिकारियों में सम्पर्क (Scalar chain) सभी पदाधिकारियों के मध्य सीधा सम्पर्क होना चाहिए। आज़ा देन एवं लेन के माध्यम से सम्पर्क होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

(5)

Page
No.

(5) कर्मचारियों में स्थायित्व का होना (Stability of Tenure Personnel) :- प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों को निरन्तर काम करके जाना सर्वथा अधिकतर रहता है। ऐसा करने से उत्पादकता का योगदान करना पड़ता है; अतः कर्मचारियों में स्थायित्व का होना निरान्त आवश्यक है।

(6) कर्मचारियों को प्रेरणा (Initiative) :- कर्मचारियों को उत्तम प्रेरणा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे नयी-नयी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकें तथा उन्हें सफल करने में अपना सर्वस्व न्यौता कर सकें।

(7) कर्मचारियों को पारिश्रमिक (Remuneration of Personnel) :- किये गये कार्य के लिये कर्मचारियों को पारिश्रमिक इस प्रकार दिया जाना चाहिए जिससे कि नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों को ही सन्तोष का अनुभव हो। आधुनिक व्यावसायिक प्रगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। व्यवसाय की सकृति, कर्मचारियों के गुण तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की किसी भी ऐसी विधि को अपनाना चाहिए, जिससे दोनों को लाभ हो।

(8) प्रबन्ध की एकता (Unity of Management) :- प्रबन्ध में एकता होनी चाहिए इसके लिये यह आवश्यक है कि एक ही उद्योग की समान लक्ष्य वाली विभिन्न क्रियाओं में जहाँ तक सम्भव हो, एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, ताकि उनके कार्यों का समन्वय किया जा सके।

(9) अधिकार तथा दायित्व (Authority and Responsibility) :- अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी रहता है। एक अधिकार

कार्य अपने कारित्व को मंजी प्रकार निमा सके, इसलिये उसे अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

(10) व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हित की अधीनता (Subordination of Individual Interest to General Interest) :- इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(11) केंद्रीकरण (Centralisation) :- इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था रहती है कि श्रमिकों की योग्यताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिये केंद्रीकरण किस अनुकूलतम स्तर तक रखा जाय।

(12) निर्देश की समानता (Unity of Direction) :- कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिये यह आवश्यक है कि निर्देशन की समानता हो।

(13) न्याय (Equity) :- कर्मचारियों में भेदभाव करने के स्थान पर न्याय के प्राथमिक सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए।

(14) सहयोग (Espirit de Corps) :- सफलता प्राप्त करने हेतु सहयोग की भावना से काम किया जाना चाहिए। 'फूट डालो और राज करो' के स्थान पर एकता की भावना पर बल दिया जाना चाहिए। 'क्रियोल के तसाधनों के सिद्धान्त की उपरोक्त सूची बिल्कुल पूर्ण तथा व्यापक है।

The end

Dr. Honey Singh
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
SNRKR College,
SAHARSA